तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :– जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) अशोक सिधंल बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 14/2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/27)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.07.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः अपील/आरटीआई/2023/257 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से सम्बधित नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/संर्पक/सू.अधि./2023/184 दिनांक 13.04.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया गया है जिसके पत्र की प्रति पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1264 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का जबाव अपीलार्थी श्री अशोक सिधंल लाल बाजार धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1249 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा दस्ती भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर एवं लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1249 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा दस्ती भिजवाई जा चुकी है जिस पर अपीलान्ट के सूचना प्राप्त करने के हस्ताक्षर	

अंकित है। उक्त पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी ने संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर